



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 629
प्रति,

दिनांक : ५/७/१८

प्राचार्य,

श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एज्यूकेशन
51/1/2, बड़बड़, सैलाना रोड, औरा आश्रम के पास, रतलाम।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 94, दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता - निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एज्यूकेशन, रतलाम में सत्र 2017-18, बी.कॉम.(आनर्स) - तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एससी. (कम्प्यूटर विज्ञान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन, फारेन ट्रेड, टैक्स प्रोजिर एण्ड प्रेक्टीस / प्लेन), पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता - निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से बी.कॉम.(आनर्स) - तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एससी. (कम्प्यूटर विज्ञान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन, फारेनट्रेड, टैक्स प्रोजिर एण्ड प्रेक्टीस / प्लेन), पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में बी.कॉम.(आनर्स) - तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम की नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.(आनर्स) - तृतीय वर्ष	60

शर्त :- 01. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों का चयन शिघ्र कराये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक स्पष्ट से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव